साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** | संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 2 | अंक : 36 — गोंदिया : गुरुवार, 14 से 20 अप्रैल 2022 — पृष्ठ : 4 — मूल्य : रु. 5

श्री राम जन्मोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा

भगवामय हुई नगरी । जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा शहर । शोभा यात्रा का मार्गो पर भव्य स्वागत

बुलंद गोंदिया - श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी के पावन अवसर पर गोंदिया शहर के रामनगर स्थित राम मंदिर में दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाया गया। जिसके पश्चात दोपहर 3 बजे राम मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। उपरोक्त शोभायात्रा का आयोजन श्री राम जन्मोत्सव समिति गोंदिया व विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्था के सहयोग से किया गया। उपरोक्त शोभायात्रा में इस वर्ष 15 से अधिक विभिन्न धार्मिक झांकी शामिल हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही शोभायात्रा में शामिल रामभक्तों द्वारा माथे पर तिलक, भगवा कुर्ता और पगड़ी तथा भगवा ध्वज के साथ जय जय श्री राम के जय घोष से शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गो का भ्रमण किया, जिससे पूरा शहर भगवामय हो गया।

भव्य आतिशबाजी

शोभा यात्रा के दौरान जगह-जगह पर भव्य आतिशबाजी की गई।

शोभायात्रा का स्वागत

श्री राम जन्मउत्सव की शोभा यात्रा का शहर के भ्रमण के दौरान विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत कर भगवान श्रीराम का पूजन अर्चन करने के साथ ही शोभायात्रा में शामिल भक्तों के

लिए शीतल पेयजल, शरबत, फल, आइसक्रीम, मैंगो शेक, मिठाईयां, अल्पाहार आदि का वितरण किया गया।

दीपों से जगमगाया शहर

श्री राम जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर शहर के सभी स्थानों पर नागरिकों द्वारा अपने निवास स्थान

व प्रतिष्ठानों के बाहर दीप प्रज्वलित किए गए। जिससे पूरा शहर में दीपावली जैसा वातावरण निर्माण हो गया।

शहर भाजपा द्वारा गोरेलाल चौक पर भव्य स्वागत

श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का के शहर के हृदय स्थल गोरेलाल चौक में पहुंचने पर गोंदिया शहर भाजपा द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत कर प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन कर शोभायात्रा में शामिल सभी राम भक्तों को शरबत वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर भाजपा अध्यक्ष सुनील केलंनका, भाजपा कार्यकर्ता अभय अग्रवाल, शंभूशरणसिंह ठाकुर, संजय मुरकुटे, चंदनकर, जयंत शुक्ला, निर्मला मिश्रा, रीता बागड़े सहित बड़ी संख्या में गोंदिया शहर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

जन्मोत्सव पूर्व निकली भव्य श्री राम बाइक रैली

बुलंद गोंदिया - प्रभु श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष रविवार 10 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएंगी। इसके पूर्व शनिवार 9 अप्रैल को सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित भव्य श्री राम बाइक रैली आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता व शहर व समाज के युवा, बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। उपरोक्त रैली का आयोजन शनिवार 9 अप्रैल की सुबह 10 बजे गोंदिया शहर के रामनगर स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर से पूजन आरती अभिषेक कर जय श्री राम, जय हनुमान के जयघोष के साथ रैली निकली जो शहर के सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान पूरा शहर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा रैली को भव्य बनाने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ निकली। जिसका स्वागत जगह-जगह पर समाजसेवी संस्थाओं द्वारा पूजा-अर्चना कर रैली में शामिल दुपहिया सवारों के लिए पानी, शरबत, कोल्डड्रिंक के स्टॉल लगाकर रामनवमी की शुभकामनाएं दी गयी।

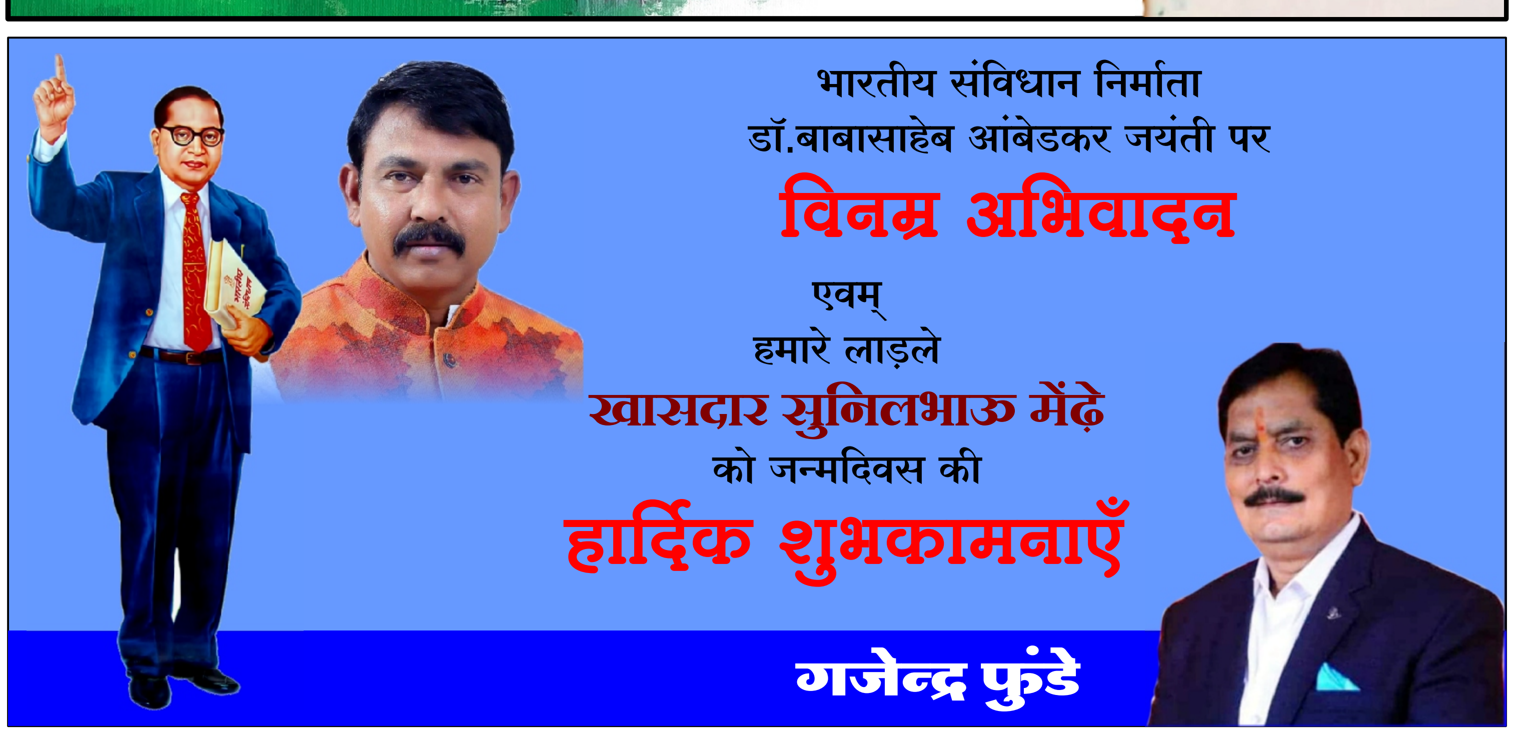

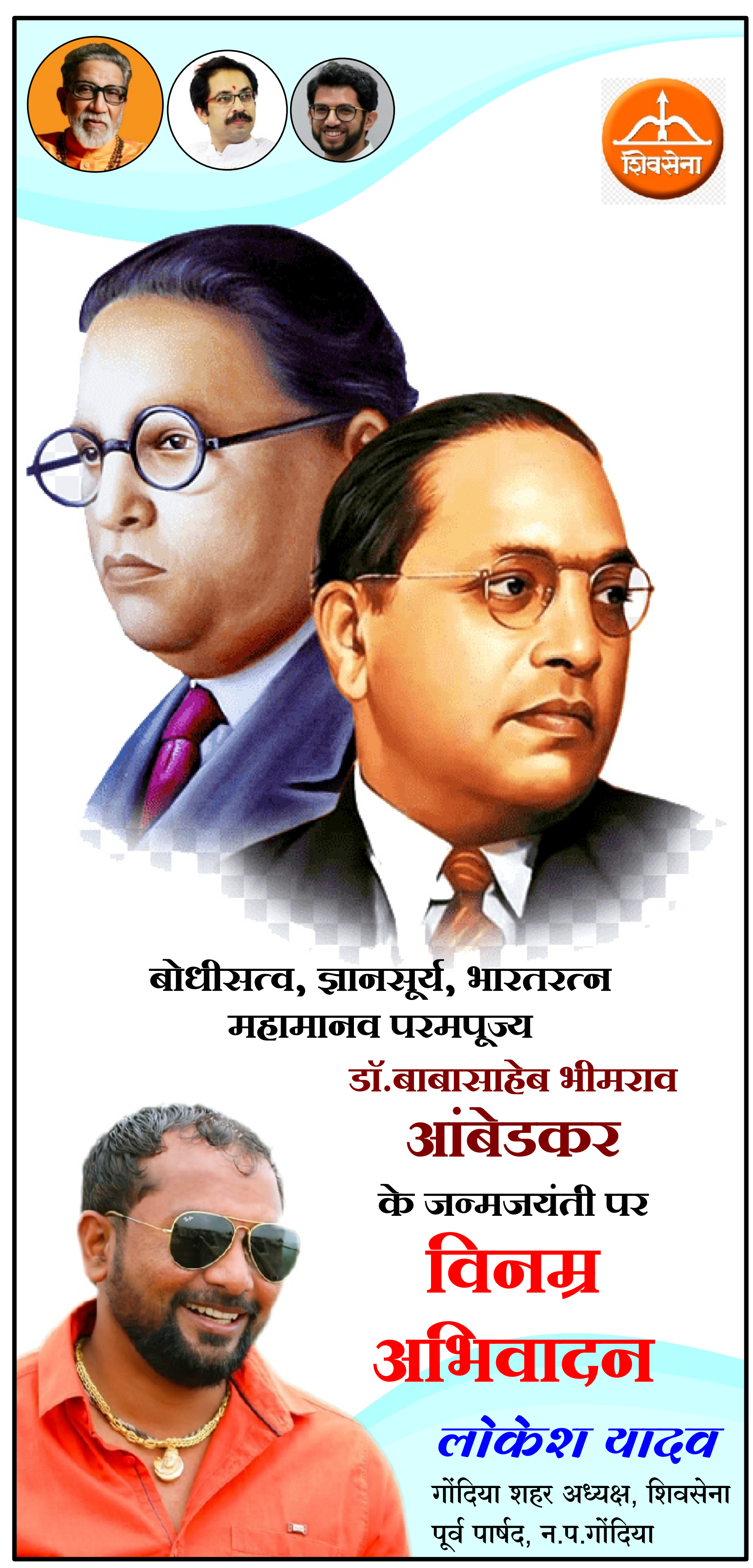

२४वें तीर्थकर भगवान महावीर
एवम्
भारतीय संविधान के निर्माता
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
की जयंती के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
बुलंद गोंदिया परिवार

भीमराव आम्बेडकर

भीमराव रामजी आम्बेडकर (14 अप्रैल, 1891 - 6 दिसंबर, 1956), डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और समाजसुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आन्दोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मन्त्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे।

आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त कीं तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किये थे। व्यावसायिक जीवन के आरम्भिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतन्त्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

हिन्दू पन्थ में व्याप्त कुरुतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकार सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में, उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरान्त सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयन्ती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉ. आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं।

प्रारम्भिक जीवन

आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14 वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को माननेवाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गाँव का निवासी था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रुप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल, भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुये वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी।

अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवम्बर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गर्वमेण्ट हाइस्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आंबडवेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबडवेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबडवे गाँव से संबंधित था। क्योंकी कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गाँव के नाम से रखते थे, अत: आम्बेडकर के आंबडवे गाँव से आंबडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राम्हण शिक्षक कृष्णा केशव आंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आंबडवेकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं।

रमाबाई आम्बेडकर, आम्बेडकर की पत्नी

रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई (अब मुंबई) चले आये। अप्रैल 1906 में, जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो नौ साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे पांचवी अंग्रेजी कक्षा पढ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल-विवाह का प्रचलन था।

प्राथमिक शिक्षा

आंबेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गर्वमेण्ट हाईस्कूल (अब प्रतापसिंह हाईस्कूल) में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरम्भ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रुप में मनाया जाता हैं। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी आंबेडकर यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रुप में मनाया गया, और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गयी। इसे पढकर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए।

माध्यमिक शिक्षा

1897 में, आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाईस्कूल में आगे कि शिक्षा प्राप्त की।

बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन

एक छात्र के रुप में आम्बेडकर

1907 में, उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे।

1912 तक, उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक (बी.ए.) प्राप्त की, और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नये परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरु किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया।

कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन

1913 में, आम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय (बड़ौदा के गायकवाड़) द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए तीन वर्ष के लिए 11.50 डॉलर प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुँचने के तुरन्त बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर (एम.ए.) परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए एंशियंट इंडियन्स कॉमर्स (प्राचीन भारतीय वाणिज्य) विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। आम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे।

1916 में, उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया - ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई, और अन्तत: उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्युशन ओफ प्रोविन्शिअल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की, अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रुप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को, उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेइज़र द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां : उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिये मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल दो वर्षो में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए।

लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन

अक्टूबर 1916 में, ये लंदन चले गये और वहाँ उन्होंने ग्रेज़ इन में बैरिस्टर कोर्स (विधि अध्ययन) के लिए प्रवेश लिया, और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरु किया। जून 1917 में, विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौरपर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें चार साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रुप में काम करते हुये अपने जीवन में अचानक फिर से आये भेदभाव से डॉ. भीमराव आम्बेडकर निराश हो गये और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रुप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरम्भ किया जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रुप में नौकरी मिल गयी। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज, अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफ़ल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम.एससी.) प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोवेन्शियल डीसेन्ट्रलाईजेशन ऑफ इम्पीरियल फायनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया (ब्रिटिश भारत में शाही अर्थ व्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण) खोज ग्रन्थ प्रस्तुत किया था। 1922 में, उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर-एट-लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रुप में प्रवेश मिल गया। 1923 में, उन्होंने अर्थशास्त्र में डी.एससी. (डॉक्टर ऑफ साईस) उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस दी प्राब्लम आफ दि रुपी : इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (रुपये की समस्या : इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान) पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुये भीमराव आम्बेडकर तीन महीने जर्मनी में रुके, जहाँ उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन, बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सकें। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स (एलएल.डी., कोलंबिया विश्वविद्यालय, 1952 और डी.लिट., उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1953) सम्मानित उपाधियाँ थीं।

छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष

आम्बेडकर ने कहा था छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अत: उनको सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पडी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया। इसके बाद, उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुन: प्रयास किये, जिसके लिये उन्होंने लेखाकार के रुप में, व एक निजी शिक्षक के रुप में भी काम किया, और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किन्तु ये सभी प्रयास तब विफल हो गये जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में, ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया।

भारत सरकार अधिनियम 1919, तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष, भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिये आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान, आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में, बंबई से, उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों मे लोकप्रिय हो गया, तब आम्बेडकर ने इसका प्रयोग रुढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिये किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिये गये भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका आम्बेडकर के साथ भोजन करना रुढ़िवादी समाज मे हलचल मचा गया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए, उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किये। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गो के रुप में सन्दर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए, उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पांच पत्रिकाएं निकालीं।

सन 1925 में, उन्हें बम्बई प्रेसीडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुये। जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया, आम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिये सिफारिश लिखकर भेजीं।

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के अन्तर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगाँव की लड़ाई के दौरान मारे गये भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में आम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगाँव विजय स्मारक (जयस्तंभ) में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये गये तथा कोरेगाँव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया।

सन 1927 तक, डॉ. आम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गो के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया। उन्होंने महाड शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने कि लिये सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में, आम्बेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रुप से न्यायसंगत बनाने के लिए, प्राचीन हिंदू पाठ, मनुस्मृति, जिसके कई पद, खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रुप से निंदा की, और उन्होंने औपचारिक रुप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को, उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रुप में आम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है।

1930 में, आम्बेडकर ने तीन महीने की तैयारी के बाद कालाराम मन्दिर सत्याग्रह आरम्भ किया। कालाराम मन्दिर आंदोलन में लगभग 15000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नाशिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुईं। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था, स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुँचे, तो द्वार ब्राम्हण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए।

राजनीतिक जीवन

आंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरु हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में, बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रुप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया, और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिये। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे।

13 अक्टूबर 1935 को, आम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होने दो वर्षो तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रुप में भी कार्य किया। आम्बेडकर बम्बई (अब मुम्बई) में बस गये, उन्होंने यहाँ एक तीन मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं, तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिये पंढरपुर जाना चाहती थीं पर आम्बेडकर ने उन्हे इसकी इजाज़त नहीं दी। आम्बेडकर ने कहा की उस हिन्दू तीर्थ में जहाँ उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसके बजाय उन्होंने उनके लिये एक नया पंढरपुर बनाने की बात कहीं।

1936 में, आम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केन्द्रीय विधान सभा चुनावों मे 13 सीटें जीती। आम्बेडकर को बॉम्बे विधान सभा के विधायक के रुप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधान सभा में विपक्ष के नेता के रुप में भी कार्य किया।

इसी वर्ष आम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट (जाति प्रथा का विनाश) प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में आम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गाँधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कडी निंदा की। बाद में, 1955 के बीबीसी साक्षात्कार में, उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया।

ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में आंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान, आंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रुप में सेवारत रहे।

आम्बेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रुप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिज़ोल्यूशन (1940) के बाद, आम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही यह तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर-मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने किया, तो वे काफी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट ढलीपाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को रोका। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, जो भारत के विभाजन के लिए रास्ता तय कर रहा था। हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे पर उन्होने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिये क्योकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए, जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष मे ऑटोमोन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिये पर्याप्त कारण मौजूद थे? और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच के मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता था। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिये। कनाडा जैसे देशों मे भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिन्दू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। उन्होंने चेताया कि दो देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या के स्थानान्तरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रख कर की गई यह भविष्यवाणी सही थी।

व्हॉट कॉंग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स? (कॉंग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया?) इस किताब के साथ, आम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनो पर अपने हमलों को तीखा कर दिया, उन्होंने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया।

आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन (शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन) में बदलते देखा, हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुये चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में वह बंगाल जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी वहां से संविधान सभा में चुने गए थे। आम्बेडकर ने बॉम्बे उत्तर में से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में आम्बेडकर राज्य सभा के सदस्य बन गए। उन्होंने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे (कांग्रेस पार्टी जीती)। 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक आम्बेडकर की निर्वाण (मृत्यु) हो गया था।

आंबेडकर दो बार भारतीय संसद के दूपरी सदन राज्य सभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रुप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था, और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले, 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया।

30 सितंबर 1956 को, आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले, 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद, उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसीडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एन. शिवराज, यशवंत आंबेडकर, पी.टी. बोराले, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, डी.ए. रुपवते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एन. शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रुप में चुना गया था।

आंबेडकर ने अपनी पुस्तक हू वर द शुद्राज? (शुद्र कौन थे?) के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शुद्रों के अस्तित्व मे आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अतिशुद्र (अछूत), शुद्रों से अलग हैं। 1948 में हू वेयर द शुद्राज़? की उत्तरकथा द अनटचेबलस : ए थीसिस ऑन द ओरिजन ऑफ अनटचेबिलिटी (अछूत : छुआछूत के मूल पर एक शोध) में आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा।

हिंदू सभ्यता .... जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे मे और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया जिसे... एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है?

आम्बेडकर दक्षिण एशिया के इस्लाम की रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया पर मुस्लिमो में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा -

बहुविवाह और रखैल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किये जा सकते जो विशेष रुप से एक मुस्लिम महिला के दु:ख के स्रोत हैं। जाति व्यवस्था को ही लें, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। जबकि कुरान में निहित गुलामों के न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा किए गए नुस्खे प्रशंसनीय हैं, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म भी हो जाये पर फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रह जायेगी।

उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज मे तो हिंदू समाज से भी कही अधिक सामाजिक बुराइयाँ है और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानो द्वारा अर्ज़ल वर्गो के खिलाफ़ भेदभाव जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता था के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा हालाँकि पर्दा हिंदुओं मे भी होता है पर उसे धर्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम मे क्रुरता की आलोचना की जिसके कारण इस्लाम की नातियों का अक्षरक्ष अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत क्रुर हो गया है और उसे को बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आपको बहुत बदल लिया है।

सांप्रदायिकता से पीडित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की माँग की उपेक्षा की है।

धर्म परिवर्तन की घोषणा

10-12 साल हिन्दू धर्म के अन्तर्गत रहते हुए बाबासाहब आम्बेडकर ने हिन्दू धर्म तथा हिन्दु समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परन्तु सवर्ण हिन्दुओं का ह्रदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिन्दू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि, हमने हिन्दू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिन्दू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिन्दू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए हैं, जबकि आम्बेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए हैं। आम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं। जो अपने ही धर्म के अनुयायिओं (अछूतों को) को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुँचाता है, बात-बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। आम्बेडकर ने हिन्दू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिन्दू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिन्दू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था।

13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की,

हालांकि मैं एक अछूत हिन्दू के रुप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिन्दू के रुप में हरगिज नहीं मरुँगा।

उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आव्हान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म-परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निज़ाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपये का प्रलोभन भी दिया पर उन्होनें सभी को ठुकरा दिया। नि:सन्देह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पर पराए धन पर आश्रित होकर नहीं बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा आम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केन्द्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्णभेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। 21 मार्च, 1936 के हरिजन में गांधी ने लिखा की, जबसे डॉ. आंबेडकर ने धर्म-परिवर्तन की धमकी का बमगोला हिन्दू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हरचन्द कोशिशें की जा रही हैं। यहीं गांधी जी आगे एक जगह लिखते हैं, हां ऐसे समय में (सवर्ण) सुधारकों को अपना ह्रदय टटोलना जरुरी है। उसे सोचना चाहिए कि कहीं मेरे या मेरे पड़ोसियों के व्यवहार से दुखी होकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या का व्यवहार ऐसा है जिससे देशभर के हरिजनों को अत्यधिक असुविधा और खीज होती है। आश्चर्य यही है कि इतने ही हिन्दुओं ने हिन्दू धर्म क्यों छोड़ा, और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया? यह तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता ही है जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं।

आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने ने विश्व के सभी प्रमुख धर्मो का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मान्तरण करें। आम्बेडकर बौद्ध धर्म को पसन्द करते थे क्योंकि उसमें तीन सिद्धांतों का समन्वित रुप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा (अंधविश्वास तथा अतिप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग), करुणा (प्रेम) और समता (समानता) की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। आम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसका केन्द्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केन्द्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए ना कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिलीं।

संविधान निर्माण

मुख्य लेख : भारतीय संविधान सभा और भारत का संविधान

गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद आम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी। जिसके कारण जब, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने आम्बेडकर को देश के पहले क़ानून एवं न्याय मंत्री के रुप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को, आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में आम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया।

आम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता के रुप में मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में, मसौदा समिति के सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी ने कहा -

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूं, जिन्होंने डॉ. आंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। उसी समय, मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद सात सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित, एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था, और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंतत: यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉ. आंबेडकर पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है।

ग्रैनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रुप में आम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरुरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुँचे हैं।

आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना, और भेदभाव के सभी रुपों का उल्लंघन करना शामिल है। आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया, और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरु करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की।, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद, बोलते हुए, आम्बेडकर ने कहा -

मैं महसूस करता हूं कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मज़बूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।

भारतीय रिज़र्व बैंक

आम्बेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था, और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चूके थे। जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर तीन विद्वत्वापूर्ण पुस्तकें लिखीं -

- ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲंड फायनान्स ऑफ दी इस्ट इंडिया कंपनी
- द इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रॉव्हिन्शियल फायनान्स इन् ब्रिटिश इंडिया
- द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन एन्ड इट्स सोल्युशन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), आम्बेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमिशन को प्रस्तुत किये थे।

दूसरा विवाह

आम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद, वह नीन्द के अभाव से पीडति थे, उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था, और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वह उपचार के लिए बॉम्बे (मुम्बई) गए, और वहां डॉ. शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा ज्ञान हो। डॉ. शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता आम्बेडकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता आम्बेडकर, जिन्हें माई या माइसाहेब कहा जाता था, का 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

बौद्ध धर्म में परिवर्तन

सन् 1950 के दशक में भीमराव आम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका (तब सिलोन) गये। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए, डॉ. आम्बेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रुप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में आम्बेडकर ने म्यानमार का दो बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून मे तीसरे विश्व बौद्ध फैलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ़ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ, द बुद्ध एंड हिज़ धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में आम्बेडकर ने लिखा हैं कि

मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूं। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती है। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है, उसका धर्म कोई होना चाहिए, तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मो के घनिष्ठ अध्ययन के पच्चीस वर्षो के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है।

मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पन्थों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ, वह नव बौद्ध धर्म या नवयान हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मातरण समारोह का आयोजन किया। प्रथम डॉ. आम्बेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणी द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुये बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5,00,000 अनुयायियो को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएँ देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया।

डॉ.भीमराव आंबेडकर व उनका परिवार कबीर साहेब जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित था तथा कबीर साहेब के ज्ञान को आधार बनाकर जीवन जीते थे। कबीर परमेश्वर ने पाखंडवाद तथा सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, गलत धार्मिक मान्यताएं, जीव हिंसा, नशाखोरी, आदि आदि को दूर किया।

वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन ग़ैर-बराबरी को जीवन मूल्य न माने। हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके इसलिए आम्बेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए बाइस प्रतिज्ञाएँ स्वयं निर्धारित कीं जो बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। यह प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध-तर्पण, पिंडदान के परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास, ब्राम्हणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह न भाग लेने, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करने, झूठ न बोलने, शराब के सेवन न करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित थीं। नवयान लेकर आम्बेडकर और उनके समर्थकों ने विषमतावादी हिन्दू धर्म और हिन्दू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। आम्बेडकर ने दुसरे दिन 15 अक्टूबर को फिर वहाँ अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, यह वह अनुयायि थे जो 14 अक्तुबर के समारोह में नहीं पहुच पाये थे या देर से पहुचे थे। आम्बेडकर ने नागपूर में करीब 8 लाख लोगों बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए यह भूमी दीक्षाभूमि नाम से प्रसिद्ध हुई। तिसरे दिन 16 अक्टूबर को आम्बेडकर चंद्रपुर गये और वहां भी उन्होंने करीब 3,00,000 समर्थकों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल तीन दिन में आम्बेडकर ने स्वयं 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर विश्व के बौद्धों की संख्या 11 लाख बढा दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जिवीत किया। इस घटना से कई लोगों एवं बौद्ध देशों में से अभिनंदन प्राप्त हुए। इसके बाद वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन मे भाग लेने के लिए काठमांडू गये। वहां वह काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए थे। नेपाल का आंबेडकरवादी आंदोलन, दलित नेताओं द्वारा संचालित किया जाता है, तथा नेपाल के अधिकांश दलित नेता यह मानते हैं कि आम्बेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया।

निधन

1948 से, आम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान आम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किये गये लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के तीन दिन के बाद 6 दिसम्बर 1956 को आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर मे हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महिने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10,00,000 से अधिक अनुयायीओं ने भदन्त आनन्द कौसल्यायन द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योकि आम्बेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मातरण कार्यक्रम आयोजित किया था।

मृत्युपरांत आम्बेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता आम्बेडकर रह गयी थीं, जो दलित बौद्ध आंदोलन में आम्बेडकर के बाद (आम्बेडकर के साथ) बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉ. शारदा कबीर था। डॉ.सविता आम्बेडकर की एक बौद्ध के रुप में 29 मई सन 2003 में 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और पुत्र यशवंत आम्बेडकर, आम्बेडकर के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर, भारिपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते है और भारतीय संसद के दोनों सदनों मे के सदस्य रह चुके है।

एक स्मारक आम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती (14 अप्रैल), महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि (6 दिसम्बर) और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस (14 अक्टूबर) को चौत्यभूमि (मुंबई), दीक्षाभूमि (नागपूर) तथा भीम जन्मभूमि (महू) में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की गई हैं, और किताबें बेची जाती हैं। आम्बेडकर का उनके अनुयायियों को संदेश था - शिक्षित बनो, संघटित बनो, संघर्ष करो।

व्यक्तिगत जीवन : परिवार

आम्बेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था, तथा पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। 1896 में आम्बेडकर जब पाँच वर्ष के थे तब उनकी माँ की मृत्यू हुई थी। इसलिए उन्हें बुआ मीराबाई संभाला था, जो उनके पिता की बडी बहन थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया, ताकि बालक भीमराव को माँ का प्यार मिल सके। बालक भीमराव जब पाँचवी अंग्रेजी कक्षा पढ रहे थे, तब उनकी शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई और भीमराव को पाँच बच्चे भी हुए - जिनमें चार पुत्र : यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और एक पुत्री : इन्दु थी। किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थीं। प्रकाश, रमाबाई, आनंदराज तथा भीमराव यह चारो यशवंत आम्बेडकर की संताने हैं।

गुरु और उपास्य देवता

आम्बेडकर ने कहां था की, उनका जीवन तीन गुरुओं और तीन उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन तीन महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमे उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उनके तीन उपास्य (देवता) थे - ज्ञान, स्वाभिमान और शील।

शेष पृष्ठ 3 पर...

डेली रेलवे मूवर्स एसोसिएशन (ड्रामा) सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकारों के आंदोलन के पूर्व रेलवे ने शुरू किया कुड़वा लाइन पैदल पुल

ड्रामा ने मनाया विजय उत्सव

बुलंद गोंदिया - गोंदिया शहर को दो भागों में जोड़ने वाले कुड़वा लाइन से राजलक्ष्मी चौक पुल को रेलवे प्रशासन द्वारा गत 2 वर्षो से बंद रखा गया था जिसे शुरु करने की मांग को लेकर 12 अप्रैल को डेली रेलवे मूवर्स एसोसिएशन (ड्रामा), पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे प्रशासन को प्रतीकात्मक आंदोलन मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। किंतु इसके पूर्व ही 11 अप्रैल को रेलवे प्रशासन द्वारा कुड़वा लाइन से राजलक्ष्मी चौक की ओर जानेवाले पैदल पुल को शुरु कर दिया। उपरोक्त आंदोलन के पूर्व ही रेलवे प्रशासन द्वारा सजग होकर पैदल पुल शुरु किए जाने पर कुड़वा लाइन पैदल पुल के समीप 11 अप्रैल की शाम 6.30 बजे के दौरान ड्रामा, सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकारों द्वारा विजय उत्सव मनाया गया।

गौरतलब है कि जब से गोंदिया में रेलवे लाइन शुरु हुई है तब से आज तक कुड़वा लाइन से राजलक्ष्मी चौक की ओर रामनगर परिसर रेलटॉली परिसर व बाजार विभाग में नागरिकों के आवागमन के लिए पैदल पुल शुरु था, किंतु कोरोना काल में सुरक्षा कारणों को बताते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा उपरोक्त पुल को बंद कर दिया गया था। जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि गत दिनों राज्य में कोरोना के सभी नियम हटा दिये है। लेकिन रेलवे द्वारा उपरोक्त पुल को शुरु नहीं किया गया था। पुल को शुरु करने की मांग को लेकर डेली रेलवे मूवर्स एसोसिएशन (ड्रामा), पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 12 अप्रैल को कुड़वा लाइन रेलवे पैदल पुल के समक्ष मोमबत्ती जलाकर प्रतीकात्मक आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। उपरोक्त चेतावनी प्राप्त होते ही रेलवे प्रशासन द्वारा 11 अप्रैल को पैदल पुल शुरु किया गया। जिसके चलते ड्रामा सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकारों द्वारा 11 अप्रैल की शाम 6. 30 बजे के दौरान कुड़वा लाइन रेलवे पुल के समक्ष विजय उत्सव मनाते हुए आतिशबाजी कर सभी को शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर गत दिनों गोंदिया से चंद्रपुर की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों को शुरु करने की मांग को लेकर आयटक द्वारा आंदोलन किया गया था। जिसके पश्चात रेलवे प्रशासन द्वारा इस लाइन पर पैसेंजर ट्रेनें शुरु की गई थी। आंदोलन के प्रमुख कामरेड मिलिंद गणवीर का इस अवसर पर ड्रामा के अध्यक्ष व पत्रकार गोपाल अग्रवाल द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थितो द्वारा संबोधन किया गया। जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सविता बेदरकर ने कहा कि रेलवे पुल बंद हो जाने से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही एसटी की हड़ताल के चलते पैसेंजर ट्रेन बंद होने से गरीब यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। सशक्त नारी संघ संघटना की प्रमुख शिखा पिपलेवार ने कहा कि गोंदिया का रेलवे स्टेशन महानगरों के रेलवे स्टेशन के समकक्ष है जिसमें एकमात्र प्रवेश द्वार से स्टेशन पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन आंदोलन की चेतावनी देने के पश्चात पैदल पुल, गेट शुरु हो जाने से यात्रियों को काफी सुविधा प्राप्त होंगी

कामरेड मिलिंद गणवीर ने अपने संबोधन में कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा एक गुप्त योजना के तहत बिलासपुर से नागपुर के बीच 10 स्टेशनों को निजीकरण के तहत नीलाम किया जाना है, जिसके लिए इसके पूर्व ही इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। जिससे निजी कंपनियों को इसका लाभ मिले तथा चंद्रपुर लाइन शुरु करने के लिए आंदोलन किया गया था तथा इस दौरान चेतावनी दी गई थी कि 15 अप्रैल तक उपरोक्त पुल शुरु नहीं हुआ तो आयटक व भाकपा द्वारा पुल शुरु किया जाएंगा। डेली मूवर्स एसोसिएशन के पत्रकार गोपाल अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पुल शुरु करने की मांग को लेकर ड्रामा, सामाजिक कार्यकर्ताओं पत्रकारों व आम जनता द्वारा मोमबत्ती जलाकर प्रतीकात्मक आंदोलन करने की चेतावनी रेलवे प्रशासन को दी थी, जिससे घबराकर रेलवे प्रशासन द्वारा 1 दिन पूर्व ही पैदल पुल को शुरु किया गया। जबकि इसके पूर्व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब इस आवाज को उठाई गई तो रेलवे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को बरगलाते हुए नक्सल, सुरक्षा कारण व विभिन्न कारणों का हवाला दिया जा रहा था लेकिन आज की यह जीत आम जनता की जीत है। इसके साथ ही इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख वक्ता पत्रकार नवीन अग्रवाल, मुकेश मिश्रा, विष्णु शर्मा, संजय राऊत, सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम मोदी, रवि मूंदड़ा आदि ने संबोधित कर नागरिकों को होने वाली इस गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला व आम नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकारों व ड्रामा के आंदोलन को सफल बताया कार्यक्रम का संचालन पुरुषोत्तम मोदी व आभार प्रदर्शन रवि मूंदड़ा ने किया।

अप्राकृतिक दुष्कर्म नराधम आरोपी को २७ वर्ष का सश्रम कारावास

3 माह में हुआ मामले का फैसला

बुलंद गोंदिया - अर्जुनी मोरगांव निवासी आरोपी दिनेश भिकाजी नंदेश्वर (30) को अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में धारा 377 व बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 व 10 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश एसएएआरओटी द्वारा 27 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रुपये का दंड सुनाया तथा उपरोक्त मामले का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में मात्र 3 माह में ही दिया गया है या विशेष उल्लेखनीय है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त घटना गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील में 21 अक्टूबर 2021 की शाम 6 बजे के दौरान घटित हुई थी। जिसमें 6 वर्षीय पीड़ित बालक की माता जब मजदूरी के कार्य से अपने घर आई तो पीड़ित बालक द्वारा अपनी माता को बताया कि आरोपी दिनेश नंदेश्वर द्वारा घर पर आकर अपने व पीड़ित बालक के कपड़े उतारकर उस पर अप्राकृतिक अत्याचार किया है। जिस पर पीड़ित बालक द्वारा दी गई जानकारी बालक के शरीर पर जख्म के निशान व खून के निशान दिखाई दिए जाने पर उसके अनुसार अर्जुनी मोरगांव पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उपरोक्त शिकायत पर तत्काल अर्जुनी मोरगांव पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 377 व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून 2012 की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सोमनाथ कदम द्वारा कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

उपरोक्त मामले में आरोपी के खिलाफ आराप सिद्ध करने तथा सरकार तथा फरियादी की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील सतीश यू. घोड़े व विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 10 गवाहों को प्रस्तुत किया उपरोक्त मामले में आरोपी की उम्र तथा इसके पूर्व उसके द्वारा इसी प्रकार की एक और घटना को अंजाम दिए जाने पर 5 वर्ष की सजा मिलने, चिकित्सा अहवाल के अनुसार आरोपी को दोषी करार देते हुए प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश एसएएआरओटी द्वारा बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20000 का दंड तथा दंड न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 10 बाल लैंगिक अत्याचार अधिनियम 2012 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 का जुर्माना दंड की राशि न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास इस प्रकार कुल 27 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के दंड की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही उपरोक्त जुर्माने की राशि पीड़ति बालक को देने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला विधि सेवा प्राधिकरण गोंदिया के माध्यम से पीड़ित बालक को मनोधैर्य योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद व पुनर्वसन करने का भी आदेश दिया है। उपरोक्त मामले में अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में पैरवी पुलिस कर्मचारी महिला पुलिस हवलदार गीता ठाकुर द्वारा विशेष सहयोग दिया गया।

संपादकिय

श्रीलंका के सबक

श्रीलंका कुल मिलाकर ऐसे राजनीतिक भंवर में फंस गया है जहां किसी को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा।

कंगाल हो चुके श्रीलंका में अब राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने संसद में बहुमत खो दिया। इकतालीस सांसद उनके गठबंधन से अलग हो गए। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे सहित सभी छब्बीस कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था।

बासिल की जगह जिन अली साबरी को नया वित्त मंत्री बनाया, उन्होंने भी चौबीस घंटे के भीतर पद छोड़ दिया। श्रीलंका के रिजर्व बैंक के गवर्नर अजीत निवार्ड कबराल भी इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिला कर देश ऐसे राजनीतिक भंवर में फंस गया है जहां किसी को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। हालांकि स्थिति संभालने के प्रयास के तौर पर राष्ट्रपति ने विपक्षी दलों से एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था, पर विपक्ष ने इसे ढकोसला बताते हुए ठुकरा दिया। सवाल है, ऐसे में श्रीलंका का भविष्य क्या होगा?

श्रीलंका के हालात से एक बात साफ है कि जनता में राजपक्षे परिवार को लेकर भारी गुस्सा है। आपातकाल और कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास के बाहर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता की अब एक ही मांग है कि राजपक्षे परिवार सत्ता से हटे। श्रीलंका सरकार में राजपक्षे परिवार का जो दबदबा है, वह हैरान करने वाला है। महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति थे, तब गोटबाया राजपक्षे सेना में निर्णायक भूमिका में थे।

जब गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री और छोटे भाई बासिल को वित्त मंत्री बना लिया। महिंदा राजपक्षे के बेटा नमाल राजपक्षे खेल मंत्री थे। फिर राजपक्षे परिवार को चीन का करीबी माना जाता है। श्रीलंका आज चीन के कर्ज जाल में जिस तरह से फंस गया है, उसके लिए भी राजपक्षे परिवार को दोषी बताया जाता रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता के भीतर एक ही कुनबे का दबदबा कैसे देश को तबाही की ओर ले जाता है, श्रीलंका इसका एक उदाहरण है।

श्रीलंका में आज जो कुछ भी हो रहा है, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ जनता को चुकानी पड़ रही है। कई महीनों से देश में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत है। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात है। महंगाई का आलम यह है कि चाय का कप सौ रुपए, चावल पांच सौ रुपए किलो, चीनी तीन सौ रुपए किलो और चार सौ ग्राम दूध पाउडर आठ सौ रुपए में बिक रहा है। जहां दिहाड़ी मजदूरों को पांच सौ रुपए रोजाना भी नहीं मिल रहे हों, वहां लोग कैसे जी पाएंगे₹ बिजली-पानी तक की आपूर्ति नहीं हो रही। पैसा नहीं होने की वजह से सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास तक बंद कर दिए हैं।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेने को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच गहरे मतभेद रहे हैं। सवाल है ऐसे में हो क्या₹ राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। श्रीलंका में अगर नेतृत्व परिवर्तन भी हो जाए तो भी देश को आर्थिक संकट से निकाल पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा।

सरकारों की अदूरदर्शी नीतियां और इससे उत्पन्न महंगाई जैसे संकट कैसे किसी देश के लिए काल बन जाते हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान इसकीमिसाल हैं। भारत भी बेलगाम महंगाई से जूझ ही रहा है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका का जिक्र करते हुए चेता भी चुके हैं। बहरहाल, अभी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद के साथ ही कठोर कदमों और वित्तीय अनुशासन की जरुरत है।

आम्बेडकरवाद

मुख्य लेख, आंबेडकरवाद

आम्बेडकरवाद आम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय आम्बेडकरवाद के सिद्धान्त हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रचार, भारतीय संविधान में निहीत अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जातिमुक्त समाज की रचना और भारत देश प्रगती यह प्रमुख उद्देश शामिल हैं। आम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनितीक तथा धार्मिक विचारधारा हैं।

पुस्तकें व अन्य रचनाएँ

मुख्य लेख : भीमराव आम्बेडकर द्वारा लिखित किताबें व अन्य रचनाएँ

भीमराव आम्बेडकर प्रतिभाशाली एवं जुंझारु लेखक थे। आम्बेडकर को पढने में बहोत रुची थी तथा वे लेखन में भी रुची रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50 हजार से भी अधिक किताबें थी। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथो में, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध अँड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हू वेअर द शूद्राज?, रिडल्स इन हिंदुइझम आदि शामिल हैं। 32 किताबें और मोनोग्राफ (22 पुर्ण तथा 10 अधुरी किताबें), 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएँ हैं। उन्हें ग्यारह भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी (मातृभाषा), अंग्रेजी, हिन्दी, पालि, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड और बंगाली ये भाषाएँ शामील है। आम्बेडकर ने अपने समकालिन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया हैं। उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया हैं। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही, उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण, और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। आम्बेडकर के ग्रंथ भारत सहित पुरे विश्व में बहुत पढे जाते है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म यह उनका ग्रंथ श्भारतीय बौद्धों का धर्मग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपुर्ण है। उनके डी.एससी. प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी रु इट्स ओरिजिन एन्ड इट्स सोल्युशन से भारत के केन्द्रिय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई है।

महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बाबासाहेब आंबेडकर के सम्पूर्ण साहित्य को कई खण्डों में प्रकाशित करने की योजना बनायी है और उसके लिए 15 मार्च 1976 को डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर मटेरियल पब्लिकेशन कमिटी कि स्थापना की। इसके अन्तर्गत 2019 तक डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर : राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज नाम से 22 खण्ड अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किये जा चुके हैं, और इनकी पृष्ठ संख्या 15 हजार से भी अधिक हैं। इस योजना के पहले खण्ड का प्रकाशन आम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1979 को हुआ। इन 22 वोल्युम्स में वोल्युम 14 दो भागों में, वोल्युम 17 तीन भागों में, वोल्युम 18 तीन भागों में व संदर्भ ग्रंथ 2 हैं, यानी कुल 29 किताबे प्रकाशित हैं। 1987 से उनका मराठी अनुवाद करने का काम ने सुरु किया गया है, किंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर : राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस के खण्डों के महत्व एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉ. आम्बेडकर प्रतिष्ठान ने इस खण्डों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनायी और इस योजना के अन्तर्गत अभी तक बाबा साहेब डा. अम्बेडकर : संपूर्ण वाड़मय नाम से 21 खण्ड हिन्दी भाषा में प्रकाशित किये जा चुके हैं। यह 21 हिन्दी खंड महज 10 अंग्रेजी खंडो का अनुवाद हैं। इन हिन्दी खण्डों के कई संस्करण प्रकाशित किये जा चुके हैं। आंबेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास हैं, जिसमें से उनका आधे से अधिक साहित्य अप्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य अभीतक प्रकाशित नहीं किया गया हैं, उनके अप्रकाशित साहित्य से 45 से अधिक खंड बन सकते हैं।

आम्बेडकर का साहित्य

पुस्तके :

- एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेज़ ऑफ़ द ईस्ट इंडिया कंपनी (एम.ए. की थीसिस)
- द एवोल्यूशन ऑफ़ प्रोविंशियल फिनांसेज़ इन ब्रिटिश इंडिया (पीएच.डी. की थीसिस, 1917, 1925 में प्रकाशित)
- दी प्राब्लम आफ दि रुपी : इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन (डीएस.सी. की थीसिस, 1923 में प्रकाशित)
- अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स (जाति प्रथा का विनाश) (मई 1936)
- विच वे टू इमैनसिपेशन (मई 1936)
- फेडरेशन वर्सेज़ फ्रीडम (1936)
- पाकिस्तान और द पर्टिशन ऑफ़ इण्डिया/थॉट्स ऑन पाकिस्तान (1940)
- रानडे, गांधी एंड जिन्नाह (1943)
- मिस्टर गांधी एण्ड दी एमेन्सीपेशन ऑफ़ दी अनटचेबल्स (सप्टेबर 1945)
- वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स ₹ (जून 1945)
- कम्यूनल डेडलाक एण्ड अ वे टू साल्व इट (मई 1946)
- हू वेर दी शूद्राज़ ? (अक्तुबर 1946)
- भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का, अनुसूचित जनजातियों (अछूतों) पर उनके असर के सन्दर्भ में दी गयी समालोचना (1946)
- द कैबिनेट मिशन एंड द अंटचेबल्स (1946)
- स्टेट्स एण्ड माइनोरीटीज (1947)
- महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविन्स स्टेट (1948)
- द अनटचेबल्सरु हू वेर दे आर व्हाय दी बिकम अनटचेबल्स (अक्तुबर 1948)
- थॉट्स ऑन लिंगुइस्टिक स्टेट्सरु राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना (प्रकाशित 1955)
- द बुद्धा एंड हिज धम्मा (भगवान बुद्ध और उनका धम्म) (1957)
- रिडल्स इन हिन्दुइज्म
- डिक्शनरी ऑफ पाली लॅग्वेज (पालि-इग्लिश)
- द पालि ग्रामर (पालि व्याकरण)
- वेटिंग फ़ॉर अ वीज़ा (आत्मकथा) (1935-1936)
- अ पीपल ऐट बे
- द अनटचेबल्स और द चिल्ड्रेन ऑफ़ इंडियाज़ गेटोज़
- केन आय बी अ हिन्दू₹
- व्हॉट द ब्राम्हण्स हैव डन टू द हिन्दुज
- इसेज ऑफ भगवत गिता
- इण्डिया एण्ड कम्यूनिज्म
- रेवोलोटिओं एंड काउंटर-रेवोलुशन इन एनशियंट इंडिया
- द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स (बुद्ध और कार्ल मार्क्स)
- कोन्स्टिट्यूशन एंड कोस्टीट्यूशनलीज़म

ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य :

- In Franchise and Framing Constituencies (मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सन्दर्भ में) (1919)
- Statement of Evidence to the Royal Commission of Indian Currency (भारतीय मुद्रा के दिया गया शाही आयुक्तालय को साक्ष्य का बयान) (1926)
- Protection of the Interests of the Depressed Classes (शोषितध्वंचित वर्गो के अधिकारों की रक्षा पर दिया गया बयान) (मई 29, 1928)
- State of Education of the Depressed Classes in the Bombay Presidency (बम्बई प्रेसीडेंसी में पिछड़े वर्गो में शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में) (1928)
- Constitution of the Government of Bombay Presidency (बम्बई प्रेसीडेंसी सरकार का संविधान) (मई 17, 1929)
- A Scheme of Political Safeguaros! for the protection of the Depressed in the Future Constitution of a Self& governing India (भविष्य के स्वशासित भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गो के लिए राजनैतिक प्रतिरक्षण की योजना) (1930)
- The Claims of the Depressed Classes for Special Represention (पिछड़े वर्गो के विशेष प्रतिनिधित्व की मांग) (1931)
- Franchise and Tests of Untouchability (छुआ-छूत की परख और विशेषाधिकार) (1932)
- The Cripps Proposals on Constitutional Advancement (संवैधानिक प्रगति पर क्रिप्स प्रस्ताव) (जुलाई 18, 1942)
- Grievances of the Schedule Castes (अनुसूचित जातियों की शिकायतें) (अक्तुबर 29, 1942)

अनुसन्धान दस्तावेज, लेख और पुस्तकों की समीक्षा :

- कास्ट्स इन इण्डिया रु देयर जीनियस, मेकैनिज़म एंड डिवेलपमेंट (1918)
- मिस्टर रसेल एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ सोसाइटी (1918)
- स्माल होलिंग्स इन इंडिया एण्ड देयर रेमिडीज (1918)
- करेंसी एंड एक्सचेंजेज़ (1925)
- द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन करेंसी (अप्रैल 1925)
- Report of Taxation Enquiry Committee (कराधान जाँच समिति की रिपोर्ट) (1926)
- Thoughts on the Repform of Legal Education in the Bombay Presidency (बम्बई प्रेसीडेंसी में न्यायिक शिक्षा में सुधार पर विचार) (1936)
- राइजिंग एंड फाल ऑफ हिन्दू वुमन (1950)
- Need for checks and Balances (नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेज़ (नियंत्रणों और संतुलनों की आवश्यकता) (अप्रैल 23, 1953)
- बुद्ध पूजा पाठ (मराठी में) (नवम्बर 1956)

प्रस्तावना और भविष्यवाणियां :

- Forward to Untouchable Workers of Bombay City (अनटचेबल वर्कर्स ऑफ़ बॉम्बे सिटी की प्रस्तावना) (1938)
- Forward to commodity Exchange (पुस्तक : कमोडिटी एक्सचेंज की प्रस्तावना) (1947)
- Preface to the Essence of Buddhism (पुस्तक, द एसेंस ऑफ़ बुद्धिजम की भूमिका) (1948)
- Forward to Social Insurance and India (सोशल इन्शुरन्स एंड इंडिया की प्रस्तावना) (1948)
- Preface to Rashtra Rakshake Vaidik Sadhan (पुस्तक, राष्ट्र रक्षा के वैदिक साधन की भूमिका) (1948)

पत्रकारिता

आम्बेडकर एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी सम्पादक थे। अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नती होंगी, इस पर उन्हें विश्वास था। वह आन्दोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं पांच पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं सम्पादन किया। इनसे उनके दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली। उन्होंने कहां हैं की, किसी भी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अखबार की आवश्यकता होती हैं, अगर आन्दोलन का कोई अखबार नहीं है तो उस आन्दोलन की हालत पंख तुटे हुए पंछी की तरह होती हैं। डॉ. आम्बेडकर ही दलित पत्रकारिता के आधार स्तम्भ हैं क्योंकी वे दलित पत्रिकारिता के प्रथम सम्पादक, संस्थापक एवं प्रकाशक हैं। डॉ. आम्बेडकर ने सभी पत्र मराठी भाषा में ही प्रकाशित किये क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था और मराठी वहां की जन भाषा है। और उस समय महाराष्ट्र की शोषित एवं दलित जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह केवल मराठी ही समझ पाती थी। कई दशकों तक उन्होंने पांच मराठी पत्रिकाओं का सम्पादन किया था, जिसमे मूकनायक (1920), जनता (1930), बहिष्कृत भारत (1927), समता (1928) एवं प्रबुद्ध भारत (1956) सम्मिलित हैं। इन पाँचो पत्रों में बाबासाहब आम्बेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पानतावणे ने 1987 में भारत में पहली बार आम्बेडकर की पत्रकारिता पर पीएच.डी. के लिए शोध प्रबंध लिखा। उसमें पानतावने ने आंबेडकर के बारे में लिखा हैं की, इस मुकनायक ने बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में लाया। बाबासाहब एक महान पत्रकार थे।

मूकनायक

31 जनवरी 1920 को बाबासाहब ने अछूतों के उपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूकनायक नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक पत्र शुरु किया। इसके सम्पादक आम्बेडकर व पाण्डुराम नन्दराम भटकर थे। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। इसके लिए कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति शाहु महाराज द्वारा 25,000 रुपये की आर्थिक मदत भी मिली थी। मूकनायक सभी प्रकार से मूक-दलितों की ही आवाज थी, जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थीं इस पत्र ने दलितों में एक नयी चेतना का संचार किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने को उकसाया। आम्बेडकर पढाई के लिए विलायत गये और यह पत्र आर्थिक अभावों के चलते 1923 में बंद पड गया, लेकिन एक चेतना की लहर दौड़ाने के अपने उद्देश्य में कामयाब रहा।

बहिष्कृत भारत

मूकनायक के बंद हो जाने के बाद कम समय में आम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला। इसका सम्पादन डॉ. आम्बेडकर खुद करते थे। यह पत्र बाम्बे से प्रकाशित होता था। इसके माध्यम से वे अछूत समाज की समस्याओं और शिकायतों को सामने लाने का कार्य करते थे तथा साथ ही साथ अपने आलोचकों को जवाब भी देने का कार्य करते थे। इस पत्र के एक सम्पादकीय में उन्होंने लिखा कि यदि बाल गंगाधर तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो यह नारा नहीं लगाते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बल्कि वह यह कहते कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पत्र ने भी दलित जागृति का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस अखबार के शीर्ष भागों पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे। इस पाक्षिक के कुल 34 अंक निकाले गये। आर्थिक कठनाईओं कारण यह नवम्बर 1929 को बंद हो गया।

समता

29 जून 1928 में आम्बेडकर ने समता (हिन्दी : समानता) पत्र शुरु किया। यह पत्र डॉ. आम्बेडकर द्वारा समाज सुधार हेतु स्थापित संस्था समाज समता संघ (समता सैनिक दल) का मुखपत्र था। इसके संपादक के तौर पर आम्बेडकर ने देवराव विष्णु नाइक को नियुक्त किया था।

जनता

समता पत्र बंद होने के बाद आम्बेडकर ने इसका पुन:प्रकाशन जनता के नाम से किया। 24 फरवरी 1930 को इस पाक्षिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 31 अक्टुबर को 1930 यह साप्ताहिक बन गया। 1944 में, बाबासाहेब ने इसमें आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार (हिंदी : हम शासक कौम बनेंगे) इस शीर्षक से प्रसिद्ध लेख लिखा। इस पत्र के माध्यम से आम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने का बखूबी कार्य किया। फरवरी 1956 तक यानी कुल 26 साल तक यह पत्र चलता रहा।

प्रबुद्ध भारत

आम्बेडकर ने पाँचवी बार 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत शुरु किया। जनता पत्र का नाम बदलकर उन्होंने प्रबुद्ध भारत कर दिया था। इस पत्र के मुखशीर्ष पर अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्र छपता था। बाबासाहेब के महापरिनिर्वाण के बाद यह पाक्षिक बंद हुआ। 11 अप्रैल 2017 को महात्मा फुले की जयंति के उपलक्ष में बाबासाहेब के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत को नये सिरे से शुरु करने की घोषणा की और 10 मई 2017 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ एवं यह पाक्षिक शुरु हुआ।

इन अखबारों द्वारे बाबासाहेब ने अपने विचारों से स्पृश्य आणि अछूत को जागृत किया। जिससे दलितों की सोच व जीवन में परिवर्तन आया।

साभार : विकिपीडिया

तेड़वा जिप स्कूल में ग्राम पंचायत भवन का अनाधिकृत निर्माण

कनिष्ठ अभियंता ने दिया गलत अहवाल
जिप के कार्यकारी अभियंता ने दिए जांच के आदेश

बुलंद गोंदिया - गोंदिया तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम तेड़वा की जिला परिषद स्कूल परिसर में ग्राम पंचायत की इमारत का अनाधिकृत रुप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में गोंदिया पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता वंजारी ने जांच कर गलत अहवाल वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम तेड़वा कि जिला परिषद हाईस्कूल के परिसर में शासन के नियमों का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत भवन का अनाधिकृत रुप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में ग्राम के ढाई सौ से अधिक नागरिकों व युवाओं की आवाज गैर राजकीय संगठन द्वारा मामले की उठाते हुए इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए जांच के निर्देश में पंचायत समिति गोंदिया के कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर गलत अहवाल प्रस्तुत किया है, जबकि स्कूल परिसर से लगकर ही ग्राम पंचायत के भवन का निर्माण किया जा रहा है जबकि अहवाल में उपरोक्त भवन का निर्माण कार्य 200 मीटर की दूरी पर बताया गया है तथा इसके पश्चात उपजिला शिक्षा अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तो जिसमें गलत अहवाल का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत किए जाने पर जिला परिषद बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा मामले की जांच का आदेश दिया गया है।

विशेष यह है कि शासन के नियमानुसार स्कूल परिसर की भूमि पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे स्कूल के विद्यार्थियों के शिक्षा पर विपरीत परिणाम होगा क्योंकि ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रतिदिन नागरिकों के आवागमन के चलते विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होगी इस गंभीर समस्या को देखते हुए युवाओं की आवाज गैर राजकीय संगठन को नागरिकों की प्राप्त शिकायत के पश्चात मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है अब यह देखना है कि उपरोक्त मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

आवश्यकता है

गौशाला में गौ-सेवा के कार्य करने हेतु अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। रहने व खाने की व्यवस्था के साथ ही योग्यतानुसार वेतन दिया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें...

बुलंद गोंदिया कार्यालय
जगन्नाथ मंदिर के पास, गौशाला वार्ड, गोंदिया
मो. : 9405244668, 7670079009
समय : दोपहर 12 से संध्या 5 बजे तक

मैदान पर निजी संस्था के प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण का विरोध

नागरा के मेहरानटोली में नागरिकों ने आंदोलन कर जताया आक्रोश
पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भूमि का हुआ नाप जोक

बुलंद गोंदिया - गोंदिया तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम नागरा के मेहरानटोली में खेल के मैदान व मवेशियों के चारागाह के लिए आरक्षित भूमि पर निजी कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए शासन द्वारा दी गई। जमीन के विरोध में नागरा परिसर के ग्रामीणों द्वारा आंदोलन कर आक्रोश व्यक्त किया तथा प्रशासन द्वारा कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में भूमि का नाप-जोक कियां जिससे शुक्रवार 8 मार्च को दिनभर परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही।

गौरतलब है कि गोंदिया तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम नागरा के मेहरानटोली परिसर में शासकीय भूमि जो परिसर के मवेशियों के चारागाह व खिलाड़ियों के खेल मैदान के लिए आरक्षित की गई है। उपरोक्त मैदान को परिसर के सैकड़ों युवाओं द्वारा मेहनत कर भूमि को खेल के लायक बनाया है। जिसमें सैकड़ों युवा सेना व पुलिस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, साथ ही आसपास के अनेक गांव के युवाओं के लिए एकमात्र खेल की जगह है, किंतु उपरोक्त भूमि शासन द्वारा एक निजी संस्था स्टार स्वरोजगार योजना को प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए आवंटित कर दी गई है। जिसके नाप-जोक के लिए 8 अप्रेल को जब राजस्व विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो परिसर के नागरिकों द्वारा इसका विरोध कर आंदोलन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। लेकिन प्रशासन द्वारा पुलिस का तगड़ा सुरक्षा इंतजाम कर नाप-जोक शुरु कराया गया। इस संदर्भ में ग्राम नागरा के सरपंच व सैकड़ों नागरिक ने उपस्थित रहकर इसका विरोध किया तथा प्रशासन से मांग की है कि उपरोक्त जमीन क्षेत्र के परिसर के युवाओं के खेलने व मवेशियों के चारागाह के लिए चरने के लिए आरक्षित है। उसके स्थान पर उसके बदले अन्य स्थान पर उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाए, जिसका ग्रामीणों द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, किंतु यह जमीन पर निजी संस्था को न दी जाए।

शासकीय कार्य में बाधा नहीं

निजी संस्था का विरोध मेहरानटोली नागरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है उपरोक्त भूमि को नागरा व आसपास के ग्राम के युवाओं के खेलने, सेना, पुलिस प्रशिक्षण के लिए आरक्षित किया गया है। किंतु जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त जमीन निजी संस्था को प्रशिक्षण केंद्र के लिए दी गई है। जिसका तित्र विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना उद्देश्य नहीं है किंतु उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्र नागरा ग्राम पंचायत द्वारा अन्य स्थान पर निर्माण किए जाने की मांग की है तथा उसके लिए भूमि भी ग्राम पंचायत द्वारा अन्य स्थान पर बताई गई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से चर्चा किए जाने पर जिला प्रशासन की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। यदि प्रशासन द्वारा हटधर्मी की गई तो नागरिकों द्वारा जनहित में आंदोलन किया जाएगा।

- धनलाल नागपुरे, सरपंच ग्राम नागरा

भारतरत्न डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती पर १३ व १४ अप्रेल को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

प्रोफेसर सांसद मनोज झा होंगे प्रमुख वक्ता

बुलंद गोंदिया - विश्वभुषण, भारतरत्न, परम पुज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति द्वारा भारतरत्न डॉ. बाबासाहब जयंती महोत्सव पर समिति अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र वैद्य की अध्यक्षता में प्रशासकीय भवन परिसर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा चौक में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिसमे 13 अप्रैल को शाम 6 बजे भन्ते तिस्सवंस के हस्ते उद्‌घाटन तथा राज्यसभा सांसद प्रो. मनोजकुमार झा व प्रो. सुधिर मस्के (दिल्ली विश्वविद्यालय) मार्गदर्शन करेंगे। डॉ. प्रशांत मेश्राम, डॉ. घनश्याम तुरकर, डॉ. वज्रा पुष्पराज गिरी, एड. सचिन बोरकर (नागपुर हायकोर्ट), डॉ. अनुराग बाहेकर, एड. अभिनव गुजर (नागपुर हायकोर्ट) उपस्थित रहेंगे। रात 8 बजे सारंग म्युजिकल ग्रुप द्वारा बुध्द-भिम गीतों कार्यक्रम होगा।

गुरुवार 14 अप्रैल को सुबह 7 बजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण, 11 बजे प्रबोधनात्मक भीम-बुध्द गीतों का कार्यक्रम व दोपहर 1 बजे भन्ते श्रध्दाबोधी, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेशसिंह गेडाम, वंचित बहुजन आघाडी जिलाध्यक्ष सतिश बन्सोड, बीआरएसपी प्रदेश सचिव डी. एस. मेश्राम, पूर्व पार्षद सुनील भालेराव, घनश्याम पानतावने, विनीत सहारे, दिपीका रुसे, ज्योत्सना मेश्राम व संकल्प खोब्रागडे की उपस्थिति में मुख्य अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। .

लाइफ टाइम आंबेडकर अचीवमेंट अवार्ड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधाराओं को निरंतर पालन कर समाज में उसका प्रचार-प्रसार करने का निरंतर कार्य करनेवाले बालकदास बंसोड व प्रा. सतीश बंसोड को लाइफ टाइम आंबेडकर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

13 अप्रैल को बाइक रैली व भव्य आतिशबाजी

आंबेडकर जयंती के अवसर पर बुधवार 13 अप्रैल की सुबह भीमनगर मैदान से भव्य बाइक रैली निकाली जाएंगी, जो शहर का भ्रमण करेंगी। इसके साथ ही शाम को आंबेडकर प्रतिमा के समक्ष भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा।

राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के घर पर हमले के विरोध में
गोंदिया राकांपा ने किया निषेध

बुलंद गोंदिया - राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सर्वेसर्वा तथा देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार के घर पर षडयंत्रकारियो द्वारा हमला किया गया। जिसके विरोध में गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा गांधी प्रतिमा चौक गोंदिया में निषेध आंदोलन किया गया। उपरोक्त आंदोलन सांसद प्रफुल पटेल के निर्देशानुसार पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए।

प्रकरण इस प्रकार है कि 8 अप्रैल को सैकड़ों की संख्या में एसटी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ऑक निवास स्थान में अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर आंदोलन कर शरद पवार के निवास स्थान पर चप्पल व पत्थर फैके। विशेष है की उच्च न्यायालय द्वारा एसटी कर्मचारियों को 22 अप्रैल पर तक सेवा में हाजिर होने का आदेश दिया है, तथा कर्मचारियों की निवृत्ती वेतन व ग्रेच्युटी देने के साथ ही उन पर कार्रवाई न करने का आदेश भी एसटी महामंडल को दिया है। किंतु फिर से एसटी कर्मचारी आक्रमक हो गए तथा सैकड़ों की संख्या में शरद पवार के निवास स्थान पर पहुंचकर नारेबाजी कर न्यायालय की अवमानना करने के साथ ही देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार के विरोध में षडयंत्र कर आंदोलन किया। जो वरिष्ठ नेता देश में जनसेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है ऐसे नेता के निवास स्थान पर इस प्रकार का षडयंत्रकारी हमला करना, यह प्रगतिशील व सामाजिक कार्यो में अग्रणी महाराष्ट्र राज्य में अशोभनीय घटना घटित हुई है तथा इस हमले का निषेध किया किया जाता है। ऐसा इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने कहा। आयोजित निषेध आंदोलन में पूर्व विधायक आमदार राजेंद्र जैन, गंगाधर परशुरामकर, खुशाल बोपचे, देवेंद्रनाथ चौबे, नरेश माहेश्वरी, विनोद हरिणखेडे, प्रभाकर दोनोडे, केतन तुरकर, रफिक खान, योगेंद्र भगत, अशोक सहारे, बाळकृष्ण पटले, कुंदन कटारे, कमलबापू बहेकार, सी. के. बिसेन, अविनाश काशिवार, केवल बघेले, रविकांत बोपचे, तेजराम मडावी, सौ. वंदना डोंगरवार, गोपाल तिवारी, विष्णू शर्मा, किरण पारधी, सतीश देशमुख, विनित सहारे, हेमंत पंधरे, सुनील भालेराव, राजेश कापसे, चुन्नीभाऊ बेंद्रे, राजू एन. जैन, कैलास पटले, सुरेश हर्षे, डॉ. संदीप मेश्राम, खालिद पठाण, भगत ठकरानी, सौ. सुमन बिसेन, सौ. रजनी गौतम, अखिलेश शेठ, बाळा हलमारे, रवी पटले, सौ. दीक्षा भगत, सौ. रिता लांजेवार, दिलीप गभणे, धनवंत कोवे, मयूर दरबार, दिनेश अग्रवाल, मामा बन्सोड, नीरज उपवंशी, नितीन टेंभरे, इकबाल सैयद, वाय.टी. कटरे, शंकरलाल टेभरें, गंगाराम बावनकर, प्रेम जैस्वाल, उमेंद्र भेलावे, लिंकेश चिखलोंडे, सौ. परबता चांदेवार, सौ. शर्मिला टेम्भूर्णीकर, सौ. उषा मेश्राम, नरेश भेंडारकर, चंद्रकुमार चुटे, एकनाथ वहिले, सौरभ रोकडे, विनायक खैरे, करण टेकाम, विनायक शर्मा, सोनल मेश्राम, सुनील पटले, शैलेश वासनिक, योगी येडे, लव माटे, दर्पण वानखेडे, रमण उके, जिम्मी गुप्ता, रमाकांत जैस्वाल, कालू चौहान, शिवलाल नेवारे, शौरभ जैस्वाल, सोमेश राहंगडाले, आकाश नागपुरे, पंकज चौधरी, मदन चिखलोंडे, राजेश तुरकर, नागेंद्रनाथ चौबे, नागरत्न बन्सोड, सुरेंद्र रहांगडाले, नागो बन्सोड, रमेश गौतम, शब्बीर कुरेशी, वामन गेडाम, राजू येडे, चुन्नीलाल शहारे, गोविंद लिचडे, अविनाश महावत, विक्की भाकरे, अहमद भाई, प्रवीण बैस, महेश रंगारी, कान्हा बघेले व सभी तहसील अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगर परिषद सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, प्रमुख पदाधिकारी तथा सभी सेल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मृतक पुप के परिवार को पुलिस पटेल संगठन ने की आर्थिक मदद

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले के दवनीवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आनेवाले ग्राम नवेगांव के पुलिस पटेल रामचंद्र बघेले का 12 अप्रैल को आकस्मिक निधन हो गया। जिसके चलते परिवार के मुखिया के आकस्मिक निधन हो जाने से परिवार पर संकट निर्माण हो गया। ऐसी परिस्थिति में गोंदिया जिला पुलिस पटेल संघटना द्वारा उनके निवास स्थान पर पहुंच कर 10000 की आर्थिक मदद की। उल्लेखनीय है कि पुलिस पटेल को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की सुविधा न होने तथा आकस्मिक परिवार के मुखिया का निधन हो जाने से परिवार पर आर्थिक संकट निर्माण हो जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कामगार पुलिस पटेल संघठना उपशाखा दवनीवाड़ा की ओर से मृतक पुलिस पटेल रामचंद बघेले के परिवार को आर्थिक मदद दी गई। साथ ही शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दवानीवाड़ा शाखा के अध्यक्ष तथा गोंदिया जिला संगठन कुंजीलाल भगत राजु कडव, झनकसिंह लिल्हारे, लोकचंद बिजेवार, राजु ठाकरे, सौ. पुस्तकला चौरे, सौ. शालु डोंगरे, गोंदिया जिल्हा पोलीस पाटेल संघटना के

कार्याध्यक्ष प्रविण कोचे, सहसंघटक रविंद्र बिसेन, विनोद नंदेश्वर, अशोक पटले, नितीन बघेले, दिनेश कडिनाहके व सर्व पोलीस पाटील उपस्थित थे।

अनाधिकृत रुप से चल रही श्री क्लिनिकल लैबोरेट्री देवरी पर कार्रवाई

लेबोरेट्री मशीनरी सहित 4 लाख का माल जप्त, पैरा वैद्यकीय कानून के अंतर्गत राज्य में दूसरा मामला

बुलंद संवाददाता देवरी - गोंदिया जिले के देवरी तहसील के देवरी शहर में शासन की बिना मंजूरी से अनाधिकृत रुप से चल रही श्री क्लिनिकल लैबोरेट्री पर 10 अप्रैल को पुलिस द्वारा कार्रवाई कर 3,80,000 की मशीनरी जप्त की गई तथा संचालक के खिलाफ महाराष्ट्र पैरा वैद्यकीय परिषद 2021 की धारा 31,32 के तहत मामला दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि किसी भी प्रकार की चिकित्सा या क्लीनिकल लेबोरेटरी को शुरु करने व संचालित करने के लिए नियमानुसार मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, किंतु देवरी शहर के कारगिल चौक में भंडारा जिले के तुमसर निवासी जितेश प्रेमलाल येडमे द्वारा श्री क्लीनिकल लेबोरेटरी के नाम से वैद्यकीय प्रयोगशाला गत कुछ वर्षो से चल रही थी तथा बिना मंजूरी व अनाधिकृत रुप से डेमू ट्रेड चलने की जानकारी मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के निर्देश में आते ही महाराष्ट्र पैरा वैद्यकीय परिषद मुंबई के अधिकृत पत्र व उपरोक्त प्रकरण में फरियादी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन महाराष्ट्र द्वारा जांच किए जाने पर उपरोक्त लैबोरेटरी संचालक जितेश येडमे के पास प्रयोगशाला चलाने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के दस्तावेज ना होने पर इसकी शिकायत देवरी पुलिस थाने में दर्ज करवाई। जिसके पश्चात प्राप्त शिकायत के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक देवरी रेवचंद सिंघनजुडे द्वारा उपरोक्त केंद्र पर छापामार कार्रवाई कर जांच करते हुए लेबोरेटरी में उपयोग आने वाली मशीनरी व अन्य सामग्री सहित 3,80,000 का सामान जप्त किया। उपरोक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सिंघनजुडे के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक आनंदराव घाटगे पुलिस नायक सुधीर जांगडे, हाथझडे, नापोशि डोहरे, नेवारे द्वारा की गई तथा उपरोक्त मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक आनंदराव घाटगे द्वारा की जा रही है।

राज्य में दूसरा मामला दर्ज

पैरा वैद्यकीय कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में यह दूसरा मामला देवरी में दर्ज किया गया है। इसके पूर्व नागपुर जिले के काटोल शहर में 7 अप्रैल को पहला मामला दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र पैरा वैद्यकीय परिषद 2021 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लैबोरेट्री या क्लिनिकल जांच सेंटर चलाने के लिए शासन से नियमानुसार मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, किंतु उपरोक्त दोनों प्रकरण में किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं ली गई थी। गोंदिया जिले के देवरी में इस प्रकार की छापामार कार्रवाई होने पर गोंदिया जिले के अन्य स्थानों पर संचालित मेडिकल जांच सेंटर, क्लीनिकल जांच सेंटर संचालकों में हडकंप मच गया है। विशेष यह है कि जिले के अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की अवैध रुप से अनेक लेबोरेटरी का संचालन हो रहा है, जिसकी जांच किए जाने पर और अधिक मामलों का खुलासा सामने आ सकता है।

दुपहिया टायर फुटा आईआरपीएफ का जवान गंभीर जख्मी

देवरी आमगांव मार्ग पर वड़ेगांव के समीप हुआ हादसा

बुलंद संवाददाता देवरी - देवरी आमगांव मार्ग पर मंगलवार 12 अप्रैल की दोपहर 12 से 1 के दौरान मार्ग से जा रहे हैं आईआरपीएफ जवान की दोपहिया वाहन का टायर फट जाने से सड़क दुर्घटना में गंभीर रुप से जख्मी हो गया, जिसे उपचार के लिए गोंदिया के एक निजी चिकित्सालय में दाखिल कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत राखीव पोलीस दल के जवान तहसील आमगांव ग्राम पदमपुर निवासी विनोद डोये अपने भाई के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात अपने तैनाती स्थल पर मगरडोह चिचगढ़ पुलिस कैंप में जाने के लिए अपने दुपहिया वाहन क्रमांक एमपी 50 एमजी 7986 से ग्राम पदमपुर से निकला था। जिसके आमगांव-देवरी मार्ग पर ग्राम वड़ेगांव के समीप पहुंचने पर अचानक दुपहिया वाहन का टायर फट गया, जिससे गंभीर सड़क दुर्घटना घटित हो गई। इस दुर्घटना में पुलिस जवान गंभीर रुप से जख्मी हो गया। जिसे उपचार के लिए गोंदिया के एक निजी चिकित्सालय में दाखिल कराया गया।

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है ऐसा नहीं है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।